



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 आश्विन 1948 (श10)

(सं० पटना 1153) पटना वृहस्पतिवार 24 सितम्बर 2026

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

21 सितम्बर 2026

सं० 21/बी.पी.एस.सी.(स्था.)-27/2024सा.प्र./17405—चूँकि, पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध रूप से सब्सिडी, लाभ और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए बहुविध दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है तथा पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ावा देता है ;

और चूँकि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के परामर्श के बाद अपने पत्र संख्या-eF.No.13(18)/2022-EG-II, दिनांक 13.07.2026 के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग (जिसे इसके बाद "उक्त विभाग" कहा गया है), बिहार सरकार (जिसे इसके बाद "उक्त सरकार" कहा गया है) को सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 (जिसे इसके बाद "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम-3 के उप-नियम-(1) के तहत निर्धारित उद्देश्यों के लिए अनुमति दी थी कि उक्त विभाग को आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने के लिए प्रमाणीकरण करने और प्रमाणीकरण के दौरान आधार संख्या का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है तथा आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभों और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) की धारा-4 की उप-धारा-(4) के खंड (b) के उप खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम-5 के तहत इसे अधिसूचित किया जा सकता है;

और चूँकि, उक्त नियमों के नियम-3 के उप-नियम (1) के तहत निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार (i) बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा आयोजित सरकारी परीक्षाओं के विभिन्न चरणों में और उनके योगदान/कार्यभार ग्रहण (Joining) के समय अभ्यर्थियों के, तथा (ii) परीक्षाओं में शामिल परीक्षा पदाधिकारियों के पहचान एवं प्रमाणीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा; और उक्त उद्देश्य के लिए आधार प्रमाणीकरण का निष्पादन स्वैच्छिक आधार पर होगा तथा उक्त विभाग आधार प्रमाणीकरण केवल बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के विभिन्न चरणों में (योगदान के समय सहित) अभ्यर्थियों की और परीक्षा प्रक्रिया में शामिल परीक्षा पदाधिकारियों की पहचान सत्यापित करने के लिए ही करेगा, ताकि छद्मवेश धारण (impersonation), दोहराव और अन्य धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को रोका जा सके और परीक्षा प्रक्रिया की सटीकता तथा अखंडता सुनिश्चित की जा सके [जिसे इसके बाद "उपयोग का मामला (use case)" कहा गया है]।

अतः, अब अधिनियम की धारा-4 की उप-धारा-(4) के खंड (b) के उप खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम-5 के अनुसरण में, उक्त विभाग एतद् द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात् :

- (1) विभाग, अधिनियम में प्रावधान के अनुसार, यहाँ बताए गए प्रमाणीकरण के उद्देश्य के लिए आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगा।
- (2) उक्त नियमों के नियम-3 के उप-नियम (2) के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर है, विभाग आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक और व्यावहारिक साधनों के बारे में सूचित करेगा तथा आधार प्रमाणीकरण से मना करने या असमर्थ होने के कारण आधार संख्या को किसी भी सेवा से वंचित नहीं करेगा, अर्थात्;
 - मतदाता पहचान पत्र (Voter ID card)
 - पैन कार्ड (PAN Card)
 - ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)

यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मो. आफाक अहमद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 21st September 2026

No. 21/BPSC-27/2024 Gad / 17405—Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

And whereas the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), had allowed *vide* its letter no. **eF.No.13(18)/2022-EG-II**, dated **13-07-2026** to the **General Administration Department**, (hereinafter referred to as the said department), **Government of Bihar** (hereinafter referred to as the said Government) for the purposes prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules) that the said Department may be allowed to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the Act):

And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for Identification and Authentication of (i) Candidates at various stages of Government Examinations conducted by BPSC and at the time of their joining; and (ii) Examination functionaries involved in the examinations (hereinafter referred to as the said purpose) as prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the said Department shall perform the Aadhaar authentication only for verify the identity of candidates at various stages of examinations conducted by BPSC, including at the time of joining, and of examination functionaries involved in the examination process, so as to prevent impersonation, duplication, and other fraudulent activities, while ensuring the accuracy and integrity of the examination process. [hereinafter referred to as the use case(s)].

Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Act, the said Department hereby notifies the following, namely: —

1. (1) The Department, as provided in the Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.
- (2) As per sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication is on voluntary basis the Department shall inform to the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication, namely: —
 - (a) Voter ID card
 - (b) PAN Card
 - (c) Driving License

2. This notification shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette.

*By the order of Governor of Bihar,
Md. Afaq Ahmad,
Joint Secretary to Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1153-571+10-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>